

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड देहरादून

पत्रांक ५८ / विकास कार्य / नि०सू० / 2025-26

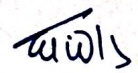
दिनांक 17 अप्रैल, 2025

ई- निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून द्वारा प्राधिकरण में पंजीकृत / नवीनीकृत ठेकेदारों / फर्मों से उनकी श्रेणी के अनुसार नीचे वर्णित कुल 04 विकास कार्य को करने हेतु ई-निविदा दिनांक 13.05.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक [uktenders.gov.in](http://uktenders.gov.in) की बैबसाईट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति / अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिनांक 14.05.2025 को सांय 2.00 बजे उपरान्त उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। नियत तिथि के उपरान्त प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आगणन में अकिंत विशिष्टियों की मात्रा पूर्णतः अनुमानित है इसमें परिवर्तन (घटत/बढत) सम्भावित है परन्तु भुगतान वास्तविक कार्य के माप/आंकलन के आधार पर किया जायेगा।

इच्छुक ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त कार्य हेतु निविदा मूल्य की धनराशि का पे-आर्डर जो सचिव, एम०डी०डी०ए० के पक्ष में हो, एवं निर्धारित राशि की धरोहर राशि जो एफ०डी०आर० / सी०डी०आर० / एन०एस०सी० के रूप में होगी, तथा अधिशासी अभियन्ता, म०दे०वि०प्रा० के नाम बन्धक होगी, को उक्त बैबसाईट में उक्त तिथि व समय तक, निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इन सभी की मूल प्रति दिनांक 14.05.2025 को अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राधिकरण के सम्बन्धित अभियन्त्रण अनुभाग (चतुर्थ तल) में जमा करनी होगी। निर्धारित समय तक धरोहर राशि की एफ०डी०आर० व निविदा मूल्य का ड्राफ्ट जमा न करने की दशा में उस फर्म की निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें निविदा प्रपत्र, जी० पी० डब्लू०-9 एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी एवं जमानत राशि हेतु जारी शासनादेश संख्या शासनादेशों के अनुसार होगी। जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगी। समस्त निविदाओं की वैधता 90 दिन मान्य रहेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम                                                                                                     | अनुमानित लागत (लाख में) बिना जी० एस०टी० | धरोहर राशि रू० | निविदा मूल्य मय जी०एस०टी० सहित | कार्य पूर्ण करने की अवधि | निविदा की वैधता |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1        | वार्ड-92 प्रेमनगर के गली न०-2 महिमा एन्कलेव केहरीगॉव में इन्टरलाकिंग सडक निर्माण।                                | 28.62                                   | 75,000.00      | 2950.00                        | 03 माह                   | 90              |
| 2        | डी०ए०वी० कालेज देहरादून में 100 फीट उचा राष्ट्रीय ध्वज लगाये जाने का कार्य।                                      | 33.26                                   | 75,000.00      | 2950.00                        | 04 माह                   | 90              |
| 3        | नकरौंदा राजेश्वरीपुरम् कालोनी में श्री सुरेश कुल्हान जी के घर से श्री डोभाल जी के घर तक इन्टरलाकिंग सडक निर्माण। | 23.48                                   | 70,500.00      | 2360.00                        | 03 माह                   | 90              |
| 4        | वार्ड-100 नथुवाला के ढांग के पास कालोनी में आन्तरिक मार्ग का निर्माण कार्य।                                      | 33.69                                   | 75,000.00      | 2950.00                        | 04 माह                   | 90              |

  
अधिशासी अभियन्ता

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून।

(2)

अन्य नियम एवं शर्तें :-

- 1- निविदा मूल्य हेतु जमा कराये जाने वाले ड्राफ्ट के पीछे अपनी फर्म का जी0एस0टी0 नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
- 2- निविदा के साथ मूल रूप में एवं ऑन लाईन निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है।  
(क)- निविदा वैधता, सत्यता और शुद्धता, लिटिगेशन की सूचना, निविदा समिति के निर्णय/नो कलेम , No Dues ,के संबंध में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर एवं रू0 1.00 के रसीदी टिकट के साथ नोटराइज्ड हस्ताक्षरित शपथ पत्र।  
(ख)- उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 770/iii(2) 17-20(सामान्य) 2011 टी0सी0 दिनांक 12.06.2017 के अनुसार विभागीय दरों से 5 प्रतिशत से कम दरों पर निविदा देने पर अतिरिक्त परफोरमेंस सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करनी होगी।  
(ग)- प्राधिकरण को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का अधिकार होगा।

प्रतिलिपि:-

- 1-सचिव,म0दे0वि0प्राधि0देहरादून ।
- 2-मुख्य लेखाधिकारी म0दे0वि0प्राधिकरण देहरादून ।
- 3-मुख्य अभियन्ता, म0दे0वि0प्राधिकरण, देहरादून।
- 4-नगर निगम/लोक निर्माण विभाग/जिला परिषद/सिचाई विभाग के नोटिस बोर्डों पर चस्पा हेतु।
- 5-नाजिर म0दे0वि0प्राधि0 को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त विज्ञप्ति को एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर अखबार की प्रति इस अनुभाग को उपलब्ध करायेगें ।
- 6- आई0टी0 अनुभाग को इस आशय से कि विज्ञप्ति को प्राधिकरण की बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 7-प्राधिकरण नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु ।
- 8-सम्बन्धित पत्रावली पर संलग्न करने हेतु ।

अधिसासी अभियन्ता  
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण  
देहरादून।